न्यायालय जिलाकलक्टर,भरतपुर (राज0)

अपील / रसद / 16 / 2021

निरोतीलाल उचित मूल्य दूकानदार ग्रांम अघापुर तहसील व जिला भरतपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी, भरतपुर

.....रेस्पो0

अपील विरुद्व आदेश जिला रसद अधिकारी भरतपुर दिनांक 06–04–2021, प्रकरण संख्या 58 / 2019

उपस्थित :–
1–श्री पंकज कुमार अभिभाषक अपीलान्ट
2–श्री संजीव शर्मा, ई0ओ0 पैरोकार रसद

निर्णय

दिनांक 20–03–2024

अपीलान्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) भरतपुर के आदेश दिनांक 06–04–2021 के खिलाफ पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश में जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) भरतपुर ने अपीलान्ट द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2, 5, 7, 11, व 17सी का स्पष्ट उलंघन किये जाने के कारण अपीलान्ट डीलर को जारी प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने तथा जमा शुदा प्रतिभूति राशि 1000 / – रुपये जप्त सरकार किये जाने की आज्ञा पारित की गई है। उक्त आज्ञा के खिलाफ यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 2–9–2021 पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पो एवं पत्रावली तहत तलब की गई। जिला रसद अधिकारी भरतपुर से प्राप्त तहत पत्रावली नत्थीवद्य की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये जाहिर किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया है, सुनवाई का मौका दिये बिना आज्ञा पारित की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण काविल निरस्ती के है। योग्य अभिभाषक का यह भी तर्क है कि प्रार्थी के कथनों पर कोई ध्यान नहीं दिया मौके पर कोई जांच नहीं की है, ई.आई की रिपोर्ट के आधार पर बिना सुने अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो निरस्तनीय है। अन्य कमरे में रखे गेहूं पर जांच अधिकारी ने कोई ध्यान नहीं दिया और ना हीं

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

उस कमरे में जाकर जांच की गेंहू दूसरे कमरे में रखा हुआ था। अपीलान्ट के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई थी जिसमें पुलिस जांच अधिकारी ने गेंहू को मौका पर अन्य कमरे में पाया है और दर्ज एफ.आई.आर. में एफ.आर लगा दी गई है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

पैरोकार रसद ई.ओ. ने जबाब बहस में बताया कि एफ.आर. कोर्ट में विचाराधीन है जहॉ हमारी तरफ से प्रोटेस्ट फाईल किया हुआ है। एफ.आर अभी फाईनल नहीं हुई है। अपीलान्ट की दुकान पर दो बार जाकर जांच की गई परन्तु अपीलान्ट डीलर गेंहू को मौका पर बताने में असफल रहा है। अपीलान्ट के सारे कथन झुठे हैं। अपीलान्ट को विधिवत रजिस्टर्ड नोटिस कार्यालय से जारी किये गये हैं। जो उसे मिल गये हैं परन्तु अपीलान्ट जान बुझ कर जांच से बचाता रहा है। फाईल तहत में स्पष्ट है। अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावलीयों का अध्ययन किया। योग्य अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 6.4.2021 का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 145.17 क्वि. गेहू का दुरुपयोग कर खुर्द–बुर्द करने का दोषी पाये जाने पर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2, 5, 7, 11, व 17सी का स्पष्ट उलंघन किये जाने के कारण अपीलान्ट डीलर को जारी प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने तथा जमा शुदा प्रतिभूति राशि 1000/– रुपये जप्त सरकार किये जाने की आज्ञा पारित की गई है।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट का तर्क है कि अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय ने नोटिस नहीं दिया गया अपीलान्ट का यह तथ्य स्वीकार योग्य नहीं क्यों कि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन पर आया कि अपीलान्ट को दिनांक 17.12.19 दिनांक 22.5.2020 तथा अन्तिम नोटिस क्रमांक/रसद /अभियोजन/2021/770 दिनांक 22.3.2021 को जारी किया गया है इस नोटिस में तारीख पेशी दिनांक 6.4.2021 को उपस्थित होने हेतु लिख गया है यह नोटिस रजिस्टर्ड डाक से अपीलान्ट को भेजा गया है पत्रावली में उपलब्ध पोस्ट ओफिस रजिस्ट्री रसीद से स्पष्ट है कि यह नोटिस रजिस्टर्ड भेजा गया है उक्त नोटिस में पर्याप्त समय दिया गया है। अपील की मद नम्बर –2 में अपीलान्ट ने यह तथ्य स्वीकार किया है कि ".....न्यायालय में जो दिनांक नीयत थी उसके बाद अपीलान्ट को नोटिस प्राप्त हुआ है.....।" अपीलान्ट की यह स्वीकारोक्ती इस बात को दर्शाती है कि अपीलान्ट को नोटिस तो मिले हैं पर देरी से मिले हैं, अपीलान्ट ने नोटिस कब मिला किस तारीख को मिला इसका कोई उल्लेख नहीं किया है, अपीलान्ट काम चाहिये था कि नोटिस मिलने के बाद वह अपने केस के बारे अपने कार्यालय में उपस्थित होकर जानकारी करता तथा उपस्थित होता।

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

अपीलान्ट ने अपने जुबानी कथनों के सिवाय ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेजी हमारे समक्ष पेश नहीं किया जिससे उससे कथनों की पुष्टी होती हो।

जहॉ तक अपीलान्ट का यह कहना कि गेंहू मौके पर उपलब्ध था परन्तु प्रवर्तन स्टाफ ने जांच नहीं की, यह तथ्य भी स्वीकार योग्य नहीं है क्यों कि तहत पत्रावली में उपलब्ध प्रर्वतन अधिकारी रसद द्वारा तैयार फर्द पूछताछ व भौतिक सत्यापन रिपोर्ट दिनांक 19.7.2019 का अवलोकन किया जो इस प्रकार है कि –

"".....आज दिनांक 19.7.2019 को उचित मूल्य दुकानदार निरोतीलाल आधापुर 1/4 भाग की दुकान पर निरीक्षण हेतु पहुचे। मोके पर एफपीएस मशीन कियाशील नहीं पायी। मशीन के स्टॉक की जानकारी नहीं होने पर भौतिक सत्यापन करने पर 1.5 क्वि. गेहू, 400 लीटर कैरोसीन व चीनी शून्य पायी गयी। डीलर से स्टॉक के बारे में पूछताछ करने पर 29.5.19 को जूनः माह का व 19.6.2019 को जुलाई 19 का गेहूं आया था। विगत समय से बडी मात्रा में गेंहू की मात्रा शेष रहने के कारण अंदर के एक कमरे गेंहू रख दिया था व जुलाई को जो गेंहू प्राप्त हुआ वह जून में आ जाने के कारण उसी में से वितरण जून में कर दिया। इस प्राधिकृत स्थल में उपलब्ध 1.5 क्वि. गेंहू के अतरिक्त शेष गेंहू दूसरे गैर प्राधिकृत कमरे में रखा होना बताया। उक्त कमरे पर ताला लगा कर रखा गया है। इस कमरे की चाबी पत्नी के पास है जो सहवन से आगरा अपने साथ चावी ले गयी है। वक्त जांच डीलर की दुकान पर वांछित मात्रा ऑन लाईन रिकार्ड के अनुसार 145.37 क्वि है वक्त जांच मौके पर वांछित से 143.87 क्वि कम पाया गया है। ..... डीलर को पाबन्द किया कि चुंकी प्राधिकृत स्थल पर स्टॉक उपलब्ध नहीं है अतः नियमानुसार स्टॉक 143.87 क्वि. गेहूं कम है परन्तु वास्तविकता की पुष्टी हेतु कि वह सोमवार को कार्यालय में सूचित कर भौतिक सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण करावें। तथा सूचित नहीं करने पर यह माना जावेगा कि उपरोक्त 143.87 क्वि गेहू किसी भी रुप में उपलब्ध नहीं है। व दुरुउपयोग कर खुर्द बुर्द कर दिया गया है.....। उक्त फर्द पूछताछ व भौतिक सत्यापन रिपोर्ट पर अपीलान्ट डीलर के भी हस्ताक्षर हो रहे हैं।

इसी निरन्तरता में प्रवर्तन अधिकारी रसद द्वारा दिनांक 25.7.2019 को डीलर की दुकान पर जाकर पुनः जॉच की। पत्रावली में उपलब्ध फर्द मौका दिनांक 25.7.2019 का अवलोकन किया गया। उक्त फर्द मोका में पुर्व जॉच रिपोट दिनांक 19.7.2019 का हवाला देते हुये अपनी जांच में अंकित किया है कि :–

".....डीलर को भौतिक सत्यापन की पूर्णता हेतु कार्यालय में सूचित करने बाबत पांबद किया था परंतु डीलर द्वारा आज दिनांक तक कार्यालय में संपर्क नहीं किया गया। आज डीलर की पोस मशीन, प्राधिकार पत्र व नक्शा मांगा गया। डीलर का प्राधिकार पत्र संख्या 156/97 है व नक्शा चककाजी वर्रपुरा का है। प्रस्तुत प्राधिकृत व्यापार

.....4

जिला कलक्टर
भरतपुर

स्थल डीलर के स्वयं के मकान का है। वर्तमान स्थिति कुछ नवीन निर्माण करा लेने के कारण प्रस्तुत नक्शे के अनुरुप नहीं पाया। डीलर के पोस मशीन में वक्त जॉच 145.37 क्वि. गेंहू जिसमें से भौतिक सत्यापन पर केवल 20 किलो गेंहू ही उपलब्ध है। घर के समस्त 4 कमरों का अवलोकन किया गया पर गेंहू का कोई स्टॉक मौजूद नहीं पाया। डीलर से इतनी बडी गेंहू की मात्रा उपलब्ध नहीं होने वक्त जॉच दिनांक 19.7.19 को गुमराह कर जांच कार्य में सहयोग नहीं करने बाबत पूछने पर कोई भी जबाब नहीं दिया गया। अतः स्पष्ट रुप से डीलर द्वारा 145.17 क्वि. गेंहू को खुर्द बुर्द कर दिया गया है व इस मात्रा का दुरुउपयोग किया गया है। बार बार पूछने पर भी डीलर द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। विगत माहों के चालान व बिल भी चाहे गये परंतु डीलर द्वारा कोई जवाब नहीं दिया है.....।"

प्रतर्वन अधिकारी द्वारा यह जॉच अपीलान्ट डीलर की उपस्थिति में की गई है फर्द मौका फर्द भौतिक सत्यापन पर हो रहे अपीलान्ट के हस्ताक्षर से यह निर्विवाद है कि दोनों समय अपीलान्ट की दुकान या घर के अन्य कमरे में कोई गेहूँ नहीं मिला इस बात की पुष्टी डीलर द्वारा तैयार फर्द भौतिक सत्यापन में किये हस्ताक्षर से होती है। इस प्रकार डीलर का यह कहना की मौके पर गेंहू उपलब्ध था जॉच नहीं की गई कतई स्वीकार नहीं है।

जहॉ तक प्रश्न एफ.आर. का है योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेजी हमारे समक्ष पेश नहीं किया है जिससे उनके मौखिक कथनों की पुष्टी होती हो।

उपरोक्त विवेचन से यह निर्विवाद है कि अपीलान्ट डीलर द्वारा 145.37 क्वि. गेंहू को खुर्द बुर्द कर दुरुपयोग किया है। डीलर का यह कृत्य राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) अदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2,5,7,11, व 17(सी) का स्पष्ट उलंघन है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश 6.4.2021 विधिवत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता महसूस नहीं करते हैं। अस्तु अपील अपीलान्ट काविल खारिज के रहती है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय प्रति के साथ जिला रसद अधिकारी भरतपुर को तहत पत्रावली वापिस लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 20–03–2024 को सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर